

रिपोर्ट पटवारी हल्का / आई0एल0आर0
 न पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार
 प्रमाण पत्र व दाखल काठ के आधार पर प्रार्थी का नाम प्रमाणित है।
 प्रमाण पत्र व दाखल काठ के आधार पर प्रार्थी का नाम प्रमाणित है।
 प्रमाण पत्र व दाखल काठ के आधार पर प्रार्थी का नाम प्रमाणित है।

25/05/2023
 12:24 PM

RY
 16
 17
 18
 19

क्रमांक : राजस्व / 2020 / 209

दिनांक :-

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है / उचित नहीं है। ~~अवेदक~~ का नाम दुरुस्त किये जाने की अभिशंका की जाती है / नहीं की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
 उदयपुरवाटी

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023

209
 1-6-23

तहसीलदार उदयपुरवाटी / गुढागौडजी
 जयपुर
 आदेश :-

दिनांक :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौडजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौडजी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्वत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	अडवाता	2075-78	80	विकास पुत्र जेमर कोम उफर	विकास कुमार उफर पुत्र जयराम कोम उफर

नोट :- शेष पृविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

क्रमांक :- राजस्व / 2020 / 189
 प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौडजी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी / प्रार्थीया

उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी
 प्रशासन गांवों के संग अभियान - 2023
 उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी
 दिनांक :- 1-6-23

को सूचनार्थ



उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी
 प्रभासी अधिकारी
 प्रशासन गांवों के संग अभियान - 2023
 उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी